न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 189 / 2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
धमाराम पुत्र मांगाराम, उम्र–62 साल, जाति–मेगवाल, निवासी–पवारों का सरा (रामदेवरा), तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा		1. ईसराराम पुत्र मूलाराम फौत के कायम मुकाम :– 1/1–शेम्भूराम पुत्र ईसराराम 1 1/2–हस्तुदेवी पत्नी ईसराराम 2. जगमालराम पुत्र मूलाराम फौत के कायम मुकाम :– 2/1– पुरखाराम पुत्र जगमालराम 2/2 – ठाकराराम पुत्र जगमालराम 3. भगवानाराम पुत्र मूलाराम 4. राजूराम पुत्र मूलाराम 5. हरुराम पुत्र मूलाराम 6. तुलसाराम पुत्र प्रहलादराम 7. नीम्बाराम पुत्र प्रहलादराम 8. प्रभूराम पुत्र प्रहलादराम 9. हवा पत्नी प्रहलादराम, जातियान –मेगवाल, नि–पंवारो का सरा, (रामदेवरा 10. नगाराम पुत्र दलाराम 11. भैराराम पुत्र गंगाराम 12. जेठाराम पुत्र गुमनाराम 13. लिखमाराम पुत्र गुमनाराम 14. वालाराम पुत्र गुमनाराम 15 माडूदेवी पत्नी गुमनाराम, निवासी मुढों की ढाणी, (रामदेवरा) 16. जेहाराम पुत्र पुरखाराम [illegible]राम पुत्र पुनमाराम [illegible] पुत्र पुनमाराम 19. [illegible] पुत्र पुनमाराम 20. [illegible]देवी पत्नि नुनमाराम जा[illegible]ट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

21. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आइ. सिणधरी
22. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2.श्री पाबूराम बेनीवाल,वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित।
3.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 22 की ओर से उपस्थित। शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 26.06.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 210/1 रकबा 0.3101 हैक्टयर ग्राम पंवारों का सरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2,4/2 रकबा 11.5151 हैक्टयर व 7.854 हैक्टयर ग्राम पंवारों का सरा खसरा संख्या 6,7 रकबा 4.6679 हैक्टयर व 2.5807 हैक्टयर ग्राम मूढों की ढाणी तथा खसरा संख्या 18/2, 18/3 रकबा 1.1488 हैक्टयर व 0.8090 हैक्टयर ग्राम निम्बली की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थीगण तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने खेत खसरा संख्या 2,4/2 रकबा 11.5151 हैक्टयर व 7.854 हैक्टयर ग्राम पंवारों का सरा खसरा संख्या 6,7 रकबा 4.6679 हैक्टयर व 2.5807 हैक्टयर ग्राम मूढों की ढाणी तथा खसरा संख्या 18/2, 18/3 रकबा 1.1488 हैक्टयर व 0.8090 हैक्टयर ग्राम [illegible] के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर [illegible]र्थीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पाबूराम बेनीवाल की तरफ वकालतनामा पेश करते हुए आवेदन पत्र के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार रास्ता दिये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। शेष विप्रार्थीगण बावजू नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 22 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी।

वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 210/1 रकबा 0.3101 हैक्टयर ग्राम पंवारों का सरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2,4/2 रकबा 11.5151 हैक्टयर व 7.854 हैक्टयर ग्राम पंवारों का सरा खसरा संख्या 6,7 रकबा 4.6679 हैक्टयर व 2.5807 हैक्टयर ग्राम मूढों की ढाणी तथा खसरा संख्या 18/2, 18/3 रकबा 1.1488 हैक्टयर व 0.8090 हैक्टयर ग्राम निम्बली की भूमि आई हुई है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थीगण तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण खेत खसरा संख्या 2,4/2 रकबा 11.5151 हैक्टयर व 7.854 हैक्टयर ग्राम पंवारों का सरा खसरा संख्या 6,7 रकबा 4.6679 हैक्टयर व 2.5807 हैक्टयर ग्राम मूढों की ढाणी तथा खसरा संख्या 18/2, 18/3 रकबा 1.1488 हैक्टयर व 0.8090 हैक्टयर ग्राम निम्बली भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। आगे ओर कथन किया था,कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को खेत खसरा संख्या 2,4/2 रकबा 11.5151 हैक्टयर व 7.854 हैक्टयर ग्राम पंवारों का सरा खसरा संख्या 6,7 रकबा 4.6679 हैक्टयर व 2.5807 हैक्टयर ग्राम मूढों की ढाणी तथा खसरा संख्या 18/2, 18/3 रकबा 1.1488 हैक्टयर व 0.8090 हैक्टयर ग्राम निम्बली की भूमि में से रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा अपनी ओर से यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन के सलंग्न प्रस्तुत प्रस्तावित भूमि के नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच के सलंग्न प्रस्तावित नक्शे में भूमि का आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए नया मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने भी प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया कि तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त हुई जिसके अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता दिये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

विप्रार्थी संख्या 19 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(तहसील कार्यलय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा पंवारों का सरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 210/1 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए नये रास्ते के रूप में स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोट पत्र कमांक भू.अ./2025/106 दिनांक 14.01.2025 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा पंवारों का सरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 210/1 में पहुचनें के लिए निकटतम सड़क मार्ग के बीच खेत खसरा संख्या 2,4/2 रकबा 11.5151 हैक्टयर व 7.854 हैक्टयर ग्राम पंवारों का सरा खसरा संख्या 6,7 रकबा 4.6679 हैक्टयर व 2.5807 हैक्टयर ग्राम मूढों की ढाणी तथा खसरा संख्या 18/2, 18/3 रकबा 1.1488 हैक्टयर व 0.8090 हैक्टयर ग्राम निम्बली की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा अपनी ओर प्रस्तुत बहस के तथ्यों में भी उल्लेखित किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी जोत तक आवागमन का कोई वैकल्पिक जरिये नहीं होने तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने एवं सबसे निकटतम दूरी पर सड़क मार्ग से जुड़ने का एक मात्र विकल्प है इसके अतिरिक्त प्रार्थी के खेत तक आवागमन का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा सबसे निकटतम दूरी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार रास्ते हेतु निर्धारित विधिक प्रावधान अर्थात् प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक आवागमन हेतु आत्यंतिक आवश्यकता का होना एवं सबसे निकटतम विकल्प विप्रार्थीगण के खेत में से होना सभी प्रार्थी के पक्ष में साबित है एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की सहमति के साथ ही प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार प्रार्थीगण के तथ्यों को मजबूती प्रदान करने से प्रार्थी का आवेदन प्रथम दृष्टया विधि पोषित एवं वैध प्रावधानों के अनुरुप होने से स्वीकार योग्य है। तथा तहसीलदार सिणधरी की मौका रिपोर्ट भी प्रार्थी की जायज व विधिक मांग की पुष्टि करती है, तथा रास्ते में आने वाले विप्रार्थीगण की भूमि के ऐवज में निर्धारित प्रतिफल की राशि प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तत्पर है, प्रार्थीगण क्षर्तिपूति/प्रतिफल राशि का भुगतान कर रास्ता प्राप्त करना चाह रहा है, प्रस्तावित रास्ता सभी विप्रार्थीगण के खेत के एक सेढे/सीमा से लगता हुआ होने से खेतो के टुकड़े भी नहीं हो रहे है। जिसके तहत अधिनियम के प्रावद्यानों के तहत गुणावगुण के आधार पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा बाद जांच तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार रास्ते हेतु ग्राम पंवारो का सरा के ख.सं. 2 रकबा 11.5121 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम में से लम्बाई 122 गड्डा व चौडाई 03 गट्टा रकबा 0.1480 हैक्टेयर व ख.सं. 4/2 रकबा 7.8554 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम में से लम्बाई 184 गड्डा व चौडाई 03 गड्डा रकबा 0.2233 हैक्टेयर व ख.सं. 202/5 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम में से सम्पूर्ण रकबा 0.0324 हैक्टेयर रास्ते हेतु प्रस्तावित व ख.सं. 208/5 की भूमि पूर्व में राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण की जा चुकी हैं तथा ग्राम मुढो की ढाणी के ख. सं. 6 रकबा 4.6679 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम में से लम्बाई 62 गठ्ठा व चौडाई 02 गट्टा रकबा 0.0502 हैक्टेयर व ख.सं. 7 रकबा 2.5807 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम में से लम्बाई 60 गड्डठ्ठा व चौडाई 02 गट्टा रकबा 0.0405 हैक्टेयर तथा ग्राम निम्बली के ख. सं. 18६2 रकबा 1.1488 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम में से लम्बाई 50 गड्डठ्ठा व चौडाई 02 गट्टा रकबा 0.0405 हैक्टेयर व ख.सं. 18६3 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम में से लम्बाई 37 गठ्ठा व चौडाई 02 गड्डा रकबा 0.0299 हैक्टेयर रास्ते हेतु प्रस्तावित किया गया हैं । उक्त प्रस्तावित भूमि की डी[illegible]ता. [illegible] असिचित सड़क के पास राशि– 251000/–रूपयें प्रति[illegible] है। नियमा[illegible] रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की [illegible] राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंवारो का सरा के ख.सं. 2 रकबा 11.5121 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम में से लम्बाई 122 गड्डा व चौडाई 03 गट्टा रकबा 0.1480 हैक्टेयर व ख.सं. 4/2 रकबा 7.8554 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम में से लम्बाई 184 गड्डा व चौडाई 03 गड्डा रकबा 0.2233 हैक्टेयर व ख.सं. 202/5 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम में से सम्पूर्ण रकबा 0.0324 हैक्टेयर रास्ते हेतु प्रस्तावित व ख.सं. 208/5 की भूमि पूर्व में राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण की जा चुकी हैं तथा ग्राम मुढो की ढाणी के ख.सं. 6 रकबा 4.6679 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम में से लम्बाई 62 गठ्ठा व चौडाई 02 गट्टा रकबा 0.0502 हैक्टेयर व ख.सं. 7 रकबा 2.5807 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम में से लम्बाई 60 गड्डठ्ठा व चौडाई 02 गट्टा रकबा 0.0405 हैक्टेयर तथा ग्राम निम्बली के ख.सं. 18ध2 रकबा 1.1488 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम में से लम्बाई 50 गड्डठ्ठा व चौडाई 02 गड्डा रकबा 0.0405 हैक्टेयर व ख.सं. 18ध3 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम में से लम्बाई 37 गठ्ठा व चौडाई 02 गड्डा रकबा 0.0299 हैक्टेयर भूमि मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ———दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी नियमानुसार खातेदारी भूमि की क्षतिपूर्ति राशि की गणना करते हुए संदाय योग्य राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांक:भू.अ. /2025/106 दिनांक 14.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीशसिंह आशिया.)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक [illegible] में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner